पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06–11–2022

दिनांक 05/06–11–2022 को रात्रि थाना गोसाईगंज 02 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना पीजीआई–दिनांक 06.11.2022 को थाना पीजीआई द्वारा बताया गया कि वादी श्री अशोक सिंह पुत्र पतिराज सिंह निवासी–कल्ली पश्चिम कटेभीट लखनऊ ने थाना पीजीआई पर सूचना दिया कि वादी कल्ली पेट्रोल पम्प पर कार्य करता है। दिनांक 03.11.2022 को समय करीब 05.00 बजे सांय को वादी की बुआ रेशमा देवी उम्र करीब 65 वर्ष आवश्यक कार्य से कल्ली चौराहे की तरफ सब्जी मण्डी की ओर जा रही थीं कि ओमेक्स मोड़ पर एक सफेद रंग बिना नं0 के बैट्री रिक्शा के अज्ञात चालक द्वारा रिक्शा को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर वादी की बुआ को टक्कर मार दिया और मौके से फरार हो गया, जिससे वादी की बुआ के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आयीं, जिन्हें गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के लिए के0जी0एम0यू0 ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया। दिनांक 05.11.2022 को दौराने इलाज वादी की बुआ रेशमा देवी उपरोक्त की मृत्यु हो गयी। **इस सूचना पर थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 645/2022 धारा 279/338/304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना महानगर–दिनांक 06.11.2022 को थाना महानगर द्वारा बताया गया कि डा0 राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल विभूतिखण्ड लखनऊ से थाना महानगर पर एक डेथ मेमो इस आशय का भेजा गया कि दिनांक 05.11.2022 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि को अमन उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र अशोक निवासी–546/3/43 अकबरनगर फैजाबाद रोड थाना महानगर लखनऊ को इस चिकित्सालय में मृत अवस्था में लाया गया। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री रमेश कुमार पटेल मो0नं0 6393806712 थाना महानगर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.11.2022 को समय करीब 09.00 बजे रात्रि को अमन पुत्र अशोक ने अपने उपरोक्त मकान के कमरे में पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया, जिन्हें उनके पजिनों द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर डाक्टरों ने अमन उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया। मृतक अविवाहित था।